न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या 12/85/2017 | **प्रवेश तिथि** 30–11–2017 | **निर्णय दिनांक** 10–09–2018

01– विक्रम पुत्र सुरज्ञानी जाति मीणा निवासी ग्राम गिरूडी तहसील बानसूर, जिला अलवर राज०
अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार, बानसूर, जिला अलवर
रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर दिनांक 19.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 253/2017

उपस्थितः–

01–श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, बानसूर, जिला अलवर के आदेश दिनांक 19.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम गिरूडी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 4.45 है० में से 0.50 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम गिरूडी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 4.45 है० में से 0.50 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 10.08.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 19.09.2017 के विरूद्ध दिनांक 30.11.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 10.09.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है एवं तहसीलदार बानसूर को आदेशित किया जाता है की यदि उक्त अपीलान्ट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है, तो उसके विरूद्ध एल आर एक्ट के तहत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10–09–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)